# स्वतन्त्रता के ६२ वर्ष बाद भी भारत सरकार जमाखोरी, कालाबाजारी और आतंकवाद के चंगुल में।

स्वतन्त्रता के ६२ वर्ष के बाद भी यह समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी को पूरे देश में रोकने के कड़े उपाय किये जाय ताकि महँगाई पर नियन्त्रण किया जा सके और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी के खिलाफ सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित राज्य अपने अधिकारों का पूर्ण रुप से प्रयोग करें और केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी पर आपसी तालमेल बढ़ा कर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाय। केन्द्र सरकार जो खाद सुरक्षा का जो नया कानून बना रही है। उसमें गरीबों को सस्तेदर पर अनाज देने की व्यवस्था की जाय और इसमें कोई जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो सके उसके लिए ऐसे ईमानदार अधिकारीयों की यूनिट बनाई जाय। जो राशन कार्ड बनने की जाँच अच्छे से कर सकें और उन्हीं लोगों को सस्ते दर वाले कार्ड दिए जाए जो इस योग्य है। कुछ लोग सरकारी नौकरी या अच्छी इन्कम वाले लोग रिश्वत देकर गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड बनवा लेते हैं और जो लोग इसके योग्य हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाता।

एक नई योजना इस प्रकार बनाए कि शहर के साथ-साथ ग्रामिण विकास समान्तर के साथ-साथ सामुहिक होना चाहिए और सस्ते से सस्ता सामान देश में जो गरीबी कि रेखा के नीचे हैं उन तक पहुंचाया जा सके इसके लिए केन्द्र सरकार खाद सुरक्षा कानून पिछले वर्ष से बना रही है। परन्तु अभी तक उसका लाभ उन लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है जो लोग सस्ते दर अनाज पाने योग्य हैं। अभी रिजर्व बैंक के सर्वे के अनुसार महँगाई बढ़ने के संकेत है। तो महँगाई पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पायी और केन्द्र सरकार जो खाद्य सुरक्षा का नया कानून बना रही है इसके आधार पर नौ फिसदी की विकास दर हासिल करना वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुसार एक चुनौती है।

केन्द्र सरकार खाद् सुरक्षा का एक नया कानून बना रही है यह कानून एक साल से अधिक होने पर भी संसद में आँख बन्द करके सो रहा है सोते को जगाना तो आसान है मगर जो जागते में सोए उसे जगाना बहुत कठिन है इसलिए हम प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह से अनुरोध करते हैं कि इसे संसद में इसी मानसून सत्र में खाद सुरक्षा कानून बनाया जाए।

केन्द्र सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के सुरक्षा बलों को सभी आघुनिकीकरण के हथियारों के साथ-साथ प्रभावी भी बनाया जाय। ताकि सभी सुरक्षा बल सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो । पूरे देश के अन्दर सुरक्षा बलों के हथियारों की मेन्टेनेन्स पर विशेष ध्यान दिया जाय। सुरक्षा बलों के साथ-साथ जो सभी राज्य और केन्द्र शासित राज्यों में पुलिस बल है इसको प्रभावी बनाने में केन्द्र सरकार हर सम्भव सहायता दें सुरक्षा बलों और सभी राज्यों की पुलिस का आपसी ताल मेल बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिये केन्द्र सरकार पुलिस विभाग को और कड़ा मजबूत बनाए और यदि कोई आतंकवादी या आई.एस. आई का एजेन्ट विभाग की गिरफ्त में आता है तो उसके केस का फैसला जल्द से जल्द और बड़ी सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। ताकि उस आतंकवादी या आई.एस.आई. के एजेन्ट को उसके साथी बचाने के लिए किसी भारतीय विमान, यातायात व भारतीयों को बंदी ना बनाये। जिसके कारण सरकार को उस आतंकवादी को छोड़ना पड़े जो आतंक फैलाते हुए पकड़े जाते हैं।

केन्द्र सरकार जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन जो नयी योजना शुरू कर रही है इसमें शहरी - महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाय। ताकि शहरी महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं का भी विकास हो सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जो नया कानून बना रही है उसमें ऐसे पुलिस अधिकारी हों जो ईमानदार हों और जो मामले की सही जांच करके मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सही न्याय कर सकें।

केन्द्र सरकार पुलिस विभाग में ऐसी नीति बनाए जिसमें किसी भी मामले की पूरी जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। ना कि सिर्फ यह सोच कर कि जिसने शिकायत की है वही व्यक्ति सही है भी या नहीं। शिकायत कर्ता ने किसी बेकसूर को झूठे केस में फंसाने के लिए तो झूठी शिकायत नहीं की। कई केसों में हमने देखा है कि कई पुरूष किसी दूसरे व्यक्ति पर झूठे केस बनाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराते हैं वह खुद गलत होकर भी किसी बेकसूर को झूठे केस में फंसा देते हैं और कई बार तो कुछ लोग अपने झूठे केस को मजबूत बनाने के लिए अपने घर की महिलाओं और बच्चों को छेड़ने, मारपीट करने, जॉन से मारने की धमकी देने) जैसे इल्जाम भी लगाते हैं। ऐसे झूठे लोगों से बेकसूर लोगों को बचाने के लिए किसी शिकायत या मामले की जांच अच्छी तरह से की जानी चाहिए। ताकि कोई बेकसूर झूठे केस में फंसने से बच सकें। यदि हमारे पुलिस विभाग में ऐसा हो पाया तो शायद लोगों का विश्वास पुलिस विभाग पर बन सकता है। कुछ लोग तो अपने पास पैसे की कमी, अपनी इज्जत व अपने नाम की खातिर खुद के सच्चे होने पर भी पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने नहीं जाते। क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करनी है यदि वह व्यक्ति पैसे वाला निकला या बिल्कुल गरीब तो पुलिस वाले उन्हीं की सुनते हैं और फंसते हैं मध्यम वर्गीय व्यक्ति। पैसे वाले व्यक्ति इस लिए बच जाते हैं क्योंकि वह पैसे वाले हैं और बिल्कुल गरीब इसलिये क्यों वह बिल्कुल गरीब उनके पास न तो गंवाने के नाम होता है और ना ही पैसा वह तो कोर्ट के चक्कर भी बार-बार लगा सकता है।

केन्द्र सरकार को अब साहस के साथ-साथ जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए केन्द्र उपाय करने चाहिए केवल साहस ही नहीं साहस के साथ-साथ सावधानी कि भी आवश्यकता है ताकि जो अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ गया है इसको ठीक करने के लिए केवल मानसून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि केन्द्र सरकार भारत को सक्षम बनाए सामाजिक आधार पर और स्वस्थ बनाए आर्थिक आधार पर और स्थाई बनाए रखे राजनैतिक आधार पर और केवल यही एक मात्र मार्ग है देश कि अर्थव्यवस्था को नया प्रोत्साहन देने और इसी आधार पर देश अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है व्यापक रुप से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था संसार से जुड़ गई है और अमेरिका का एक डॉलर हमारे कम से कम ४६ रुपया के बराबर है और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कि धन व्यवस्था हमारे देश से ऊँची है अगर हमारे देश में कृषि के साथ-साथ उद्योग और उसी प्रकार से व्यापार में हम संतुलन लाए तो हमारा देश इस स्थिति का भी सामना कर सकता है और जो अमेरिका में आर्थिक संकट आया वह हमारे देश में नहीं आएगा इसके लिए केन्द्र सरकार को कृषि और उद्योग में पहले संतुलन को बाजार से संतुलित करे तो जो हमारे देश में अर्थव्यवस्था है वह एक नए रूप से सुदृढ़ होगी और हमारे देश के एक्सपोर्ट सेक्टर की जो स्थिति तो बिगाड़ गई है वह ठीक होगी और एक नई मार्किट डवलपमेंट नीति बनाई जाए ताकि जमाखोरी और काला बाजारी को जड़ से हटाया जा सके और जमाखोरी और काला बाजारी जड़ नई मार्किट डवलपमेंट स्कीम काट सकती है केन्द्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने कि आवश्यकता है और यही मार्ग ही जमाखोरी और काला बाजारी को देश से समाप्त कर सकता है स्वतन्त्रता के ६२ वर्ष के बाद भी जो हमारा देश जमाखोरी और काला बाजारी के चंगुल में फंस गया है अब मुक्त हो जाना चाहिए इससे केन्द्र सरकार को जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के कड़े उपाय करे। ताकि मानव अधिकार सभी को मिल सके।

**हरीश कुमार**
**ह्यूमन राइट्स ऑफिसर**

Email : harshpremi@gmail.com, harshpremi@hotmail.com
Cell : 09210083601